

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1189 /2020 दिनांक 03.06.2020

श्रीमती कृष्णा गुप्ता(RJ0812), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 16.01.2020 से 22.01.2020 तक 07 दिनों का उपाजित अवकाश ।
2. दिनांक 23.01.2020 से 04.03.2020 तक 42 दिनों का गर्भपात अवकाश (Miscarriage Leave) स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती गुप्ता की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/94/2013/2438

दिनांक :- 03.06.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 624/521 दिनांक 27.05.2020/03.02.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती कृष्णा गुप्ता(RJ0812), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू (बारां) ।


सहायक रजिस्ट्रार